

संगठन, सरकार और वरिष्ठ नेताओं में सन्तुलन बनाये रखना होगी बिन्दल के लिये बड़ी चुनौती

शिमला/शैल। राजीव बिन्दल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन गये हैं और पद संभालने के बाद बतौर अध्यक्ष उन्होंने सबसे पहले पूर्व अध्यक्षों से मिलने का कार्यक्रम बनाया। इस समय शान्ता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, सुरेश भारद्वाज तथा सतपाल सत्ती पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। सत्ती से तो बिन्दल ने कार्यभार संभाला है और सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री हैं इसलिये इनसे अलग से मिलने



का कोई बड़ा अर्थ नहीं रह जाता है। शान्ता, धूमल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों का अपना-अपना जनाधार आज भी अपनी जगह बना हुआ है। इसी जनाधार के चलते धूमल को 2017 के चुनावों में नेता घोषित किया गया था। यदि धूमल ने अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ ज्यादा समय दिया होता तो वह चुनाव जीत भी जाते और उस सूरत में आज प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य कुछ दूसरा ही होता। बिन्दल की ताजपोशी के अवसर पर यही दोनों मौजूद नहीं थे। इसलिये बिन्दल के लिये यह एक राजनीतिक आवश्यकता थी कि वह इन दोनों वरिष्ठ नेताओं से उनके घर जाकर मिलते और संवाद स्थापित करते। बिन्दल ने किया भी ऐसा ही। अब बिन्दल की टीम जब घोषित होगी तब स्पष्ट हो जायेगा कि उसमें स्थान पाने वाले नेताओं / कार्यकर्ताओं की निष्ठाएं किसके साथ कितनी हैं।

बिन्दल की ताजपोशी के बाद राजनीतिक स्तर पर दो महत्वपूर्ण फैसले आने हैं। पहला है विधानसभा नया अध्यक्ष चुनना। इस चयन को टाला नहीं जा सकेगा क्योंकि आगे बजट सत्र आना है। जब विधानसभा अध्यक्ष चुना जायेगा तो इसी के साथ मंत्री परिषद के दोनों खाली स्थानों को भरने का दबाव भी बढ़ जायेगा और उसे आगे टालना कठिन हो जायेगा। इस समय रमेश धवाला और नरेन्द्र बरागटा दो ऐसे विधायक हैं जो धूमल मन्त्रीमण्डल में मन्त्री रह चुके हैं। जयराम मन्त्रीमण्डल

में इन्हें स्थान न मिलने पर दोनों की नाराजगी बाहर आ गयी थी और इस नाराजगी को दूर करने के लिये दोनों को मन्त्री रैंक में सचेतक और मुख्य सचेतक के पद ऑफर किये गये थे। बरागटा ने यह ऑफर स्वीकार कर ली थी परन्तु धवाला ने नहीं। उसके बाद ही धवाला की ताजपोशी की गयी थी। परन्तु यह दोनों अपनी वरियता के नाते अब भी मन्त्री पद की दौड़ में हैं। इन्हीं के साथ राकेश पठानिया और सुखराम चौधरी जिस तरह से सदन में अपने तेवर जाहिर करते रहे हैं उससे स्पष्ट है कि यह लोग भी मन्त्री पद की दौड़ में हैं। फिर बिन्दल के पार्टी अध्यक्ष बनने से सिरमौर का सरकार में प्रतिनिधित्व का दावा भी खड़ा हो जायेगा।

अब यह एक सुखद संयोग है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। यहीं से विधायक, मन्त्री और सांसद रहे हैं यहीं से छात्र राजनीति में आये थे। अब जब त्रिलोक जम्वाल, धर्माणी, रणधीर शर्मा के नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आये थे तब इन सबको नड्डा के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा था। यह दूसरी बात है कि अब बिन्दल भी महेंद्र पांडे

के माध्यम से नड्डा के नजदीकी बन चुके थे और राजनीतिक समीकरणों तथा वरियता के नाते इन सब पर भारी पड़ते थे इसलिये नड्डा का आशीर्वाद उन्हे हासिल हो गया। इस परिदृश्य में यह स्वभाविक होगा कि प्रदेश से जुड़े हर राजनीतिक फैसले में नड्डा की भूमिका प्रभावी रहेगी। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि नड्डा बिन्दल के माध्यम से प्रदेश की राजनीति पर पूरा कंट्रोल रखेंगे। लेकिन इस समय राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य जिस मोड़ पर पहुंच चुका है उसमें भाजपा की कठिनाईयां बढ़ती जा रही हैं। अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और माना जा रहा है कि यहां भाजपा की सरकार नहीं बन पायेगी जबकि पूरी केन्द्र सरकार इस चुनाव में उतर चुकी है। सभी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों तक को भाजपा ने चुनाव में उतार दिया है। भाजपा का इस बार भी दिल्ली हारना पार्टी के लिये पहले से भी ज्यादा नुकसान देह होगा। इस हार का असर हर प्रदेश पर पड़ेगा और उसके बाद कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो जायेंगे।

इस समय हिमाचल से मुख्यमन्त्री सहित भाजपा की एक बड़ी टीम दिल्ली

में चुनाव प्रचार पर गयी हुई है इसी के कारण जनमंच जैसा कार्यक्रम आगे खिसकाना पड़ा है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली का यह चुनाव प्रदेश सरकार और भाजपा के लिये क्या अर्थ रखता है। अभी दिल्ली में जिस तरह से नितिन गडकरी ने प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सचिव और मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव से कुछ बिन्दुओं पर जवाब तलबी करने के साथ ही मुख्यमन्त्री से भी नाराजगी जताई है उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल निकली हैं। कुछ हल्कों में इसे परवाणु, शिमला फोरलेन के निर्माण के साथ जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि कंपनी ने आगे काम करना बन्द कर दिया था और इसके कर्मचारी भी कंपनी के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठ गये थे जबकि फोरलेन के लिये तो पैसा केन्द्र दे रहा है। यह राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर अपने में ही एक गंभीर सवाल हो जाता है। सरकार के बड़े बाबू किस तरह से काम कर रहे हैं इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब जयराम ने सत्ता संभाली थी तब चण्डीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में बड़ा दावा किया गया था कि चण्डीगढ़ से मिलने वाले हिस्से के लिये

पूरे प्रयास करेंगे, यह संदेश दिया गया था कि सब कुछ तुरन्त मिल जायेगा लेकिन आज तक इस दिशा में कुछ भी ठोस नजर नहीं आया है। इस तरह के कई प्रकरण हैं जहां सरकार की कारगुजारी औसत से भी बहुत कम है और आने वाले दिनों में यह सब कुछ सामने आता जायेगा।

पार्टी अध्यक्ष राजीव बिन्दल के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार चार दिन तक सदन सुचारू रूप से चलने नहीं दिया था। आज बिन्दल को उसी कांग्रेस का बतौर अध्यक्ष सामना करना होगा। अभी तक वह सारे पुराने मसले अपनी जगह खड़े हैं। सरकार की भी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित मान लिया जाये। बल्कि पिछले दिनों जाखू में एक मकान खरीद के प्रकरण में जिस तरह से कुछ नाम चर्चा में आ गये थे यदि ऐसे प्रकरण आने वाले दिनों में जन चर्चा का विषय बन जाते हैं तो कई लोगों के लिये पेशानीयां खड़ी हो जायेगी। इस परिदृश्य में बिन्दल वरिष्ठ नेताओं, सरकार और पार्टी में कैसे सन्तुलन बनाये रखते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी रहेगी।

जब 118 के तहत खरीद के मामले दशकों तक लंबित रहेंगे तो उपयोग और निवेश का क्या होगा

शिमला/शैल। प्रदेश के भूसुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत कोई भी गैर कृषक हिमाचल में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ज़मीन नहीं खरीद सकता है। सरकार प्रदेश के विकास के लिये निवेश जुटाने की नीयत से इन खरीद नियमों में समय समय पर संशोधन करती रही है। प्रदेश में रही हर सरकार ऐसा करती रही है। जहां सरकारें इसके खरीद नियमों का सरलीकरण करती रही हैं वहीं पर इसके प्रावधानों की वॉलेशन करके इसमें खरीद बेच होने के आरोप भी लगते आये हैं इन आरोपों पर एसएस सिद्धु, जस्टिस आरएस ठाकुर और जस्टिस डी.पी. सूद की अध्यक्षता में तीन बार जांच कमेटीयां भी बैठ चुकी हैं और इन कमेटीयों ने हजारों की संख्या में वॉलेशन के मामले अपनी रिपोर्टों में सामने भी रखे हैं। कुल्लु, मण्डी और सोलन में तो कुछ

जिलाधीश रहे अधिकारियों की अपनी खरीद पर भी वॉलेशन के आरोप लग चुके हैं जिलाधीशों का जिक्र इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 118 की अनुमति की फाईल ही जिलाधीश से शुरू होती है। इन जिलाधीशों का नाम धूमल कार्यकाल में विधानसभा में आये एक सवाल के जवाब में रखे गये 400 पृष्ठों के विवरण में उपलब्ध है।

धारा 118 के तहत अनुमति में यह प्रावधान है कि ज़मीन बेचने वाला ज़मीन बेचने के बाद स्वयं भूमिहीन तो नहीं हो जाता है। खरीद की अनुमति मकान बनाने, दुकान बनाने, उद्योग लगाने आदि के लिये दी जाती है। कृषि कार्य के लिये भी एक निश्चित सीमा तक अनुमति का प्रावधान है। पालमपुर के अनुप दत्ता ने इसी प्रावधान के वॉलेशन का आरोप लगाते हुए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कारवाई किये जाने की मांग की है।

धारा 118 के तहत अनुमति लेने के लिये कितनी बार अनुमति ली जा सकती है इसको लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है और इसी अस्पष्टता का सहारा लेकर कई बड़े अधिकारियों ने एक से अधिक बार ऐसी अनुमति ली हैं। धारा 118 के तहत अनुमति लेकर जमीन खरीद कर यदि उसी जमीन को बेच देना हो तो इसके लिये भी अनुमति लेनी होती है।

धारा 118 के तहत अनुमति लेने के बाद उस जमीन पर दो वर्ष के भीतर निर्माण करना अनिवार्य होता है। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा न हो पाये तो इसके लिये एक वर्ष और की अनुमति का भी प्रावधान है। यदि इस अवधि में भी जमीन को वांछित उद्देश्य के उपयोग में न लाया जा सके तो ऐसी जमीन सरकार में विहित हो जायेगी और इसके लिये कोई भी मुआवजा

आदि नहीं मिलेगा यह भी प्रावधान किया हुआ है। धारा 118 के तहत खरीद की अनुमति से लेकर उसकी वॉलेशन तक के हर मामले की पहली जानकारी संबंधित जिलाधीश के पास ही आती है। इसलिये इसका हर मामला अदालत में स्टेट बनाम अमुक से ही चलता है। इसके लिये पहली अदालत भी जिलाधीश की ही होती है। इसी के बाद मण्डलायुक्त और एफ सी अपील की अदालतों में यह मामले पहुंचते हैं। इस समय प्रदेश में 118 की वॉलेशन के 295 मामलों जिलाधीशों से लेकर एफ सी अपील की अदालतों में लंबित हैं। कई मामले तो वर्ष 2000 से लंबित चल रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस संपत्ति की खरीद के मामले दशकों तक अदालतों में लंबित रहेंगे उसका उपयोग क्या हो रहा होगा। वॉलेशन का जो शेष पृष्ठ 8 पर.....

भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए एक शानदार उदाहरण:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गेयटी थियेटर शिमला में आयोजित 10 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 'हम सबसे बड़े और सबसे विविध लोकतंत्र हैं और हमारी चुनाव प्रक्रिया में सभी हितधारकों का योगदान महत्वपूर्ण है, जिनमें से दो हितधारकों, मतदाता और चुनाव आयोग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण तथा एक-दूसरे के पूरक है'।

उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन, हमें राष्ट्र के हर चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का वोट देश के भविष्य का आधार है। पहली बार मताधिकार प्राप्त कर रहे युवा मतदाताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता होने का अवसर मिला है, जो गर्व की बात है।

दत्तात्रेय ने कहा कि आपको जानकारी, जिम्मेदारी, नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और नए भारत का भविष्य मतदाता के विवेकपूर्ण मतदान से निर्धारित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने न केवल चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया है, बल्कि उन्होंने



की कि युवा मतदाता भारत के संविधान के आदर्शों और मूल्यों को सुदृढ़ करने में सहयोग करेंगे।

दत्तात्रेय ने राज्य निर्वाचन विभाग

मतदाताओं को चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग 5209670

मतदाता हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 7792 हैं, जिनमें से कई केंद्र कठिन क्षेत्रों में हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर कई मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि हर चुनौती के बावजूद मतदाताओं और चुनाव विभाग के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप मतदान प्रक्रिया निष्पक्षता और सफलता के साथ संपन्न हुई।

राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष के मतदाता दिवस का विषय 'मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता साक्षरता' है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतदान केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्व विद्यालयों में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता साक्षरता क्लब तथा मतदाता जागरूकता मंचों का गठन किया गया है।

इससे पहले, राज्यपाल ने जनसंपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत भारत के राष्ट्रीय आयोग द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिकों को चुनावी साक्षरता की शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल ने पर्यटन विभाग के निदेशक यूनुस को भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य पुरस्कार और ऊना से विजय कुमारी और संतोष कुमारी, कुल्लू से शांति देवी, कांगड़ा से परमजीत सिंह को उत्कृष्ट मतदान कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार और शिमला के तीर्थ नंद शास्त्री को जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने इस अवसर पर मिस शालिनी को चुनाव विभाग के राज्य प्रतिरूप के रूप में बधाई दी।

राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य

निर्वाचन विभाग के कैलेंडर का विमोचन भी किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी रूपाली ठाकुर ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत और कहा कि रूझानों से पता चला है कि राज्य में हर चुनाव में वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2018 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत 72.42 था और विधानसभा चुनावों में यह 75.57 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि इस दिन आयोग ने 18 नए मतदाताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भविष्य के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव विभाग द्वारा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक विभिन्न साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रत्येक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि आयोग के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को उनके मताधिकार के सहज प्रयोग हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके पश्चात, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अपूर्व देवगन ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर नाट्य नुकृति द्वारा 'वोट देना जरूरी है' पर एक नाटक, गुलाब सिंह द्वारा एक एकल प्रदर्शन और जिला शिमला सांस्कृतिक दल द्वारा करयाला और लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया।

राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर, जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कुल बजट का 9 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च

शिमला/शैल। राजभवन में आयोजित जनजातीय विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र राज्य के 42.49 प्रतिशत भू-भाग में फैले हैं और कुल जनसंख्या का 5.71 प्रतिशत जनजातीय लोगों का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुल बजट का 9 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों पर व्यय कर रही है और इस वित्त वर्ष में जन-जातीय उप योजना के अन्तर्गत 639 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के सभी 38537 घरों में बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय सामान्यतः गैर जनजातीय क्षेत्रों से अधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 160711 की अपेक्षा किन्नौर में 208137 और लाहौल-स्पिति में 217160 है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात 1018 है, जो प्रदेश के 972 के लिंग अनुपात की तुलना में बेहतर है।

दत्तात्रेय ने जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत स्कूलों में स्टाफ, लड़के और लड़कियों की संख्या और परिणाम की प्रतिशत प्रति स्कूल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ, विशेषज्ञ सेवाओं और अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता पर भी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग से प्राकृतिक कृषि अपना रहे किसानों की संख्या और छोटे स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों स्थापित करने वाले स्थानीय लोगों की रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन को और विस्तार देने की आवश्यकता है। उन्होंने विभाग से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत शेष बचे गांवों की जानकारी और जिन सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, उस बारे अवगत करवाने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और व्यावसायिक संस्थानों को आई.टी.आई. और उद्योगों से संबद्ध कर रोजगार की समस्या को दूर किया जा सकता है। उन्होंने आदर्श स्कूलों

की संख्या बढ़ाने और ड्रॉप आऊट विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस अवसर पर, जनजातीय विकास के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 1974-75 में 262 के मुकाबले वर्ष 2019 में कुल 573 प्राथमिक शिक्षा संस्थान, 44 के मुकाबले 99 माध्यमिक और 21 के मुकाबले 44 उच्च शिक्षा संस्थान और 4 डिग्री कालेज तथा 6 आई.टी.आई. कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि यहां स्वास्थ्य संस्थानों की भी स्थिति

बेहतर है और वर्तमान में 6 नागरिक अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 105 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यशील हैं। यहां करीब 118 वेटनरी डिस्पेंसरी भी कार्यशील हैं। उन्होंने कहा कि केलंग, काजा, भरमौर और किलाड़ में टेली मेडिसिन सुविधा आरम्भ कर दी गई है। इस के अतिरिक्त, सर्दियों में मरीजों को लाने ले जाने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है।

जनजातीय विकास के अतिरिक्त आयुक्त सी.पी. वर्मा ने इस अवसर पर जनजातीय विकास से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए। विभाग के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विदेशों में कार्यरत युवा राज्य के विकास में योगदान:मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विदेशों व अन्य राज्यों में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के शिक्षित युवा पेशेवरों से राज्य के विकास में योगदान करने का आग्रह किया है।

वह शिमला के दो युवा सामाजिक उद्यमियों सिद्धार्थ लखनपाल और गौतमी श्रीवास्तव से बात कर रहे थे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की।

गौतमी ने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री यूके के ससेक्स विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, जबकि सिद्धार्थ लखनपाल ने डब्लुपमेंट स्टडीज में एंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने उद्यम को शुरू करने के लिए गौतमी ने नीति आयोग से अपनी नौकरी छोड़ी है और सिद्धार्थ ने दिल्ली के मानव विकास संस्थान को छोड़ा है। उनके स्टार्टअप का उद्देश्य जीविका उत्थान के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण करना है।

ब्रेन ट्रेन को ब्रेन गेन में बदलने को लेकर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना सहित कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं,

जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए दोनों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि इससे



प्रदेश से बाहर बसे हुए पेशेवर युवा प्रेरित होंगे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
संयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT e-Procurement Notice INVITATION FOR BIDS (IFB)																							
The Executive Engineer HPPWD Bangana Division Distt Una H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids for item rate, in electronic tendering in 2 Cover System for the below mentioned works from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.																							
S.No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Time limit	Cost of Tender																		
1.	A/R & M/O Nari Dadhial Badsala Dathwara road (SH-P/L 25mm thick Mastic Asphalt over Badsala Bridge at RD 3/195).	839761	16800	One Month	350																		
Eligible Class of Contractor Class-A to D																							
1. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website https://hptenders.gov.in . Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.gov.in . Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.																							
2. Key Dates: <table border="0"> <tr> <td>1. Date of Online Publication</td> <td>10.02.2020</td> <td>11:00 HRS</td> </tr> <tr> <td>2. Document Download Start and End Date</td> <td>10.02.2020</td> <td>11:30 HRS</td> </tr> <tr> <td>4. Bid Submission Start and End Date</td> <td>16.02.2020</td> <td>upto 17:00 HRS</td> </tr> <tr> <td>5. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document</td> <td>10.02.2020</td> <td>11:30 HRS</td> </tr> <tr> <td>6. Date of Technical Bid opening.</td> <td>16.02.2020</td> <td>upto 17:00 HRS</td> </tr> <tr> <td>7. Evaluation of Technical Bid.</td> <td>17.02.2020</td> <td>upto 11:00HRS</td> </tr> </table>						1. Date of Online Publication	10.02.2020	11:00 HRS	2. Document Download Start and End Date	10.02.2020	11:30 HRS	4. Bid Submission Start and End Date	16.02.2020	upto 17:00 HRS	5. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	10.02.2020	11:30 HRS	6. Date of Technical Bid opening.	16.02.2020	upto 17:00 HRS	7. Evaluation of Technical Bid.	17.02.2020	upto 11:00HRS
1. Date of Online Publication	10.02.2020	11:00 HRS																					
2. Document Download Start and End Date	10.02.2020	11:30 HRS																					
4. Bid Submission Start and End Date	16.02.2020	upto 17:00 HRS																					
5. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	10.02.2020	11:30 HRS																					
6. Date of Technical Bid opening.	16.02.2020	upto 17:00 HRS																					
7. Evaluation of Technical Bid.	17.02.2020	upto 11:00HRS																					
1. TENDER DETAILS: 2. The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Covers: i) Cover 1: shall contain scanned copies of all "Technical Documents/ Eligibility Information". ii) Cover2: shall contain "BOQ/Financial Bid", where contractor will quote his offer for each item.																							
3. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in O/o Executive Engineer HPPWD Division Bangana H.P as specified in Key dates Sr. No. 5 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.																							
4. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 17.02.2020 at 11:30 HRS in the office Executive Engineer, Bangana Division HPPWD Bangana H.P. by the authorised officer. In their interest the tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.																							
5. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid submission.																							
6. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond his control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.																							
7. The copy of EPF No/GST No must be attached.																							
Adv. No.4256/19-20			HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK																				

जल जीवन मिशन पर राज्य में खर्च होंगे 3200 करोड़ रुपये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिला के धर्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टीहरा में शिक्षा संवाद और एनएसएस शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक केन्द्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर टीहरा

कॉन्फेंस के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन से राज्य में पानी की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी और इस कार्य पर 3200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।



से राज्य के लिए जल जीवन मिशन का शुभारम्भ किया। उन्होंने मण्डी जिला के थुनाग, शिमला जिला के कोटी, चम्बा जिला के तीसा और बिलासपुर जिला के झण्डुता के लिए निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए मिशन का शुभारम्भ ऑनलाइन किया। उन्होंने विडियो

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने प्रदेश के कोने-कोने का दौरा किया है और यह सुनिश्चित किया है कि हर क्षेत्र का विकास हो। सत्ता सम्भालते ही सरकार ने बिना आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70

वर्ष की, जिससे लाखों वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना से प्रदेश के एक लाख 36 हजार परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से 2.65 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन है।

उन्होंने कहा कि धर्मपुर के विधायक और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की जनसेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि इस विधान सभा क्षेत्र के आदर्श विधान सभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में विकास के मामले में उपेक्षित रहा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति घटक योजना के अंतर्गत क्षेत्र में पुल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के लिए 25 लाख रुपये मंजूर किए। उन्होंने 30 बिस्तरों की क्षमता वाले टीहरा अस्पताल को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने

की भी घोषणा की।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने रक्ष ढोलन सड़क का लोकार्पण किया और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कमलाह के विज्ञान खण्ड की आधारशिला रखी, जिसे 1.15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। जय राम ठाकुर ने टीहरा में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना तोड़खोला, लोंगनी से बांदल चौक सड़क के स्तरोन्नयन, सनोर-कपाही-अंशवीय सड़क और छतरेणा-सजायो पिपलू सड़क की आधारशिलाएं रखीं।

लोगों से प्लैग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों पर अमल करने का आग्रह

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने आम जनता से अपील की है कि विभिन्न राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के दौरान प्लास्टिक के झण्डे के स्थान पर कागज से बने राष्ट्रीय झण्डे का उपयोग करें।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि आमतौर पर देखने में आया है कि लोग ऐसे अवसरों पर प्लास्टिक के राष्ट्रीय झण्डे का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि प्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक के झण्डों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी

इसके उपरांत उन्होंने टीहरा के बांदल में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन किया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रति विशेष स्नेह है और पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र का उनका यह दूसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए कई पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आधारशिला रखी गई है।

गतिविधि के बाद झण्डे को जमीन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के झण्डे नष्ट नहीं होते।

उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका समुचित सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सरकार के संगठनों और संस्थाओं के बीच राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कानून के बारे में जानकारी नहीं होती। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि प्लैग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों पर अमल करें और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखें।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की त्रैमासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश:डॉ.राजीव सैजल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने की।

डॉ. सैजल ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक स्तर में और सुधार लाने की आवश्यकता है। राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम इन वर्गों के कल्याण के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निगम को अधिक प्रयास

करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इन वर्गों के कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होना होगा, जिसमें निगम भी जागरूकता शिविर लगाकर उनकी सहायता कर सकती है।

मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की त्रैमासिक बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न चरणों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से जुड़ी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने को बल देने को कहा।

बैठक में निगम की अधिकृत पूंजी को मौजूदा 90 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ करने, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा 35 हजार एवं ऋण सीमा 50 हजार को बढ़ाने, दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत मानदेय में वृद्धि, निगम के प्रशासनिक कार्यों पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-ऐड) संबंधी मामले सरकार के समक्ष रखने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त बैठक में पांच साल पूर्व के 50 हजार और उससे कम राशि के ऋण माफ करने संबंधी विषय पर भी चर्चा की गई। निगम में रिक्त पड़े पदों को भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

कांगड़ा को शहरी गैस वितरण परियोजना से जोड़ने का आग्रह

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने केन्द्र सरकार से कांगड़ा जिला को शहरी गैस वितरण परियोजना में शामिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छः जिले इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जबकि शेष छह जिलों को शामिल किया जाना बाकी है।

उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय द्वारा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उभरते अवसरों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला का इमटाल तेजी से उभरता औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे शहरी गैस वितरण परियोजना से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बढी, नालागढ़ और काला अम्ब को भी प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना के अंतर्गत शामिल करने का आग्रह किया।

बिक्रम सिंह ने कहा कि गैस का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में कचरे के निपटान में भी किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों-धर्मशाला, मनाली और शिमला में अपशिष्ट सामग्री से गैस तैयार करने

के लिए विशेष नीति बनाने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों जैसे ऊना, कांगड़ा, मण्डी और पांवटा साहिब में बसों में सीएनजी का उपयोग किया जा सकता है और राज्य सरकार इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के इच्छुक हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक केवल 20 सीएनजी स्टेशन स्थापित

किए गए हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य में सीएनजी को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान करें, क्योंकि सीएनजी पर्यावरण मित्र है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जा रही हैं और राज्य सरकार बायो गैस को प्रोत्साहित करने पर भी विचार कर रही है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हर संभव

शिमला। राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि राज्य में दिव्यांगजनों की सही संख्या का पता लगाने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 को लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। यह कानून देशभर में अप्रैल 2017 से

लागू किया गया था। इसके अंतर्गत सरकार ने जून 2019 में नियम भी अधिसूचित कर दिए थे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें नौकरियों में भी कानून के आधार पर चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग विद्यार्थी अनेक महाविद्यालयों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनमें से कई विद्यार्थियों ने यूजीसी की नेट एवं जेआरएफ और राज्य की सेट की कठिन परीक्षा भी पास की है। ये उच्च शिक्षित विद्यार्थियों का विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भी

प्रयास कर रही सरकार

चुने जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार पात्र दिव्यांग बेरोजगारों को प्रतिमाह 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड (यूडीआईडी) बनाने पर विशेष बल दे रही है। अभी तक 16030 कार्ड बनाए जा चुके हैं। ये देश भर में मान्य होंगे।

डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। समाज को दिव्यांगजनों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।

विभाग के अधिकारियों की सहायता की। बैठक में खनन गतिविधियों, पर्यटन गतिविधियों और परियोजनाओं (जलविद्युत परियोजनाओं सहित) में जीएसटी संग्रह पर जोर देने का निर्णय लिया गया।

संजय कुंडू ने अधिकारियों को जीएसटी रिटर्न को 85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो 200 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए बिक्री बिल जारी नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जीएसटी अधिनियम की धारा 122 के तहत कारवाई की जा सकती है, जिसमें एसजीएसटी अधिनियम और सीजीएसटी अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये जुर्माने प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को लोहे, स्टील और प्लाईवुड के व्यापार पर नजर रखने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक्साइज (शराब) के ठेकेदारों और बोटलरों के साथ लंबित सभी बकाया वसूलने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने बताया कि उत्तर क्षेत्र के तहत चंबा, नूरपुर, कांगड़ा और ऊना के राजस्व जिलों में राजस्व प्राप्ति में 11.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण के लिए राज्य सरकार से आईआईएम और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह में बेहतर कार्य करने वाले देशों में एक्सपोजर के लिए विभाग के अधिकारियों को भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे, यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगेस्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

हर विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं होता



नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उभरा विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और गृहमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई चाहे कितना भी विरोध कर ले परन्तु यह अधिनियम वापिस नहीं होगा। गृहमंत्री के ब्यान से यह विरोध सरकार बनाम जनता की शक्ल लेता नजर आ रहा है क्योंकि शाहीनबाग में विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं से संवाद का रास्ता अपनाने की बजाये इन्हे अपमानित करने की नीति अपनाई जाने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर नीचे भाजपा के सोशल मीडिया सैल तक के बयानों और पोस्टों से यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसे में यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि यदि यह अधिनियम लागू हो जाता

है तो इसका परिणाम क्या होता। अधिनियम के मुताबिक 31 दिसम्बर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वैध/अवैध रूप से भारत आये हिन्दुओं, सिखों, बौद्ध, ईसाई पारसी तथा जैन लोगों को यहां की नागरिकता प्रदान कर दी जायेगी। संसद में आये आंकड़ों के मुताबिक ऐसे आये कुल 31 हजार लोगों ने ही ऐसी नागरिकता के लिये आवेदन कर रखा है। यदि सही में यह आंकड़ा 31-32 हजार तक ही सीमित रहता है तो 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में इससे कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ेगा और तब यह विरोध कोई अर्थ नहीं रखता।

लेकिन क्या सही में इतनी सी ही बात है? नहीं यह सबकुछ इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह मसला असम में एनआरसी लागू होने से शुरू हुआ। असम में 1971 में पाकिस्तान विभाजन से बने बांग्लादेश से लाखों की संख्या में आये बांग्लादेशी शरणार्थियों से शुरू होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग वापिस बांग्लादेश जाने की बजाये यहीं रह गये थे। इन लोगों के यहीं रह जाने से असम के मूल लोग प्रभावित हुए और इन लोगों को वापिस बांग्लादेश भेजने के लिये असम के युवाओं और छात्रों ने बड़ा आन्दोलन किया। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इन आन्दोलनरत छात्रों के साथ समझौता किया कि 24 मार्च 1971 के बाद आये बांग्लादेशियों को वापिस भेजा जायेगा। असम गण परिषद की सरकार इसी आन्दोलन के परिणामस्वरूप बनी थी। इस समझौते को लागू करवाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका तक दायर हुई। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने असम में ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये। इन निर्देशों पर अमल करते हुए जो सूची तैयार की गयी उसमें करीब 20 लाख लोग गैर नागरिक पाये गये। असम में जब एनआरसी की यह प्रक्रिया चल रही थी तभी गृहमंत्री ने संसद में यह कह दिया कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। असम में जो बीस लाख लोग गैर नागरिकों की सूची में आये उनमें ज्यादा जनसंख्या हिन्दुओं की है। हिन्दुओं की संख्या ज्यादा होने और एनआरसी के विरोध के चलते असम के सवाल को यहीं पर खड़ा कर दिया गया है।

असम की समस्या का कोई हल निकालने के स्थान पर नागरिकता संशोधन अधिनियम ला दिया गया और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आये गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया गया। इस नागरिकता के लिये आधार तैयार करने का काम एनपीआर से शुरू कर दिया गया। एनपीआर हर उस व्यक्ति की गणना करेगा जो किसी स्थान पर छः माह से रह रहा है या रहना चाह रहा है। यह जनसंख्या का रजिस्टर है नागरिकों का नहीं। इसमें हर व्यक्ति गिनती में आयेगा चाहे वह नागरिक है या नहीं। जो व्यक्ति यहां का नागरिक है उसे अपनी नागरिकता के प्रमाण में दस्तावेज देने होंगे। उसे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का प्रमाण देना होगा। इसमें गलत सूचना देने पर दण्ड का भी प्रावधान है। यह भी प्रावधान है कि कोई भी आपके ऊपर सन्देह जता सकता है। सन्देह जताने से आप सन्देहशील की सूची में आ जायेंगे। इस सूची में आने से ही समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। एनपीआर पर कारवाई शुरू हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के उन्नीस जिलों में एनपीआर में 49 लाख सन्देहशील श्रेणी में आ गये हैं। ममता बैनर्जी के अनुसार चौदह लाख फर्जीलिंग में प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह यह माना जा रहा है कि एनपीआर के माध्यम से करोड़ों लोग सन्देहशील नागरिकों की श्रेणी में आ जायेंगे। अब देखना यह है कि इसमें किस समुदाय के कितने लोग आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है एनपीआर में आने वाले लोग डाटा के आधार पर ही एनआरसी और नागरिकता संशोधन का काम आगे बढ़ेगा।

सरकार को संसद में मिले प्रचण्ड बहुमत के आधार पर अपने ऐजेंडे को आगे बढ़ा रही और उसका ऐजेंडा भारत को भी धर्म के आधार पर हिन्दु राष्ट्र बनाने का है यह हर रोज सार्वजनिक होता जा रहा है। धर्म की मादकता के आगे तर्क गौण हो चुका है। आज देश लोकतन्त्र के हर स्थापित मानक पर नीचे आता जा रहा है। विश्व समुदाय की नजर में भारत की साख लगातार गिरती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय भी महत्वपूर्ण सवालों को लंबित रखने की नीति पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है लेकिन वहां के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री अभी तक नजरबन्द चल रहे हैं। देश के मीडिया का सच कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सामने आ चुका है। जिसमें तीन दर्जन से अधिक बड़े मीडिया संस्थान कैसे बिकने को तैयार और किस हद तक विपक्ष के बड़े नेताओं का सुनियोजित चरित्र हनन करने पर सहमत हो जाते हैं इससे देश की स्थिति का पता चल जाता है। आर्थिक तौर पर देश कितना कमजोर हो चुका है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार फिर आरबीआई से पैसे की मांग कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एनआरसी, एनपीआर और नागरिकता संशोधन पर टकराव बढ़ा कर आर्थिक असफलता को लम्बे अरसे तक छुपाया जा सकेगा? शायद नहीं। हर विरोध को राष्ट्रद्रोह कहकर चुप नहीं कराया जा सकता। आज टुकड़े-टुकड़े गैंग के सवाल पर आरटीआई में सूचना के बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का कद बहुत छोटा हो गया है।

प्लास्टिक मुक्त प्रदूषण के लिए पॉलीब्रिक्स विकल्प की शुरुआत

प्लास्टिक पारिस्थितिक तंत्र को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाने वाले सबसे खराब प्रदूषकों में से एक है। पर्यावरण से प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए जिला सिरमौर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सिरमौर जिला प्रशासन ने पॉलीथिन के उन्मूलन के लिए पॉलीब्रिक्स बनाकर जिले को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

पॉलीब्रिक एक तरह की प्लास्टिक ईट है जो एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक रैपर जैसे टॉफी, चॉकलेट, मैगी, नमकीन व कुरकुरे, चिप्स, शैम्पू पाउच, दूध की थैली आदि की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के टुकड़ों को खाली प्लास्टिक की बोतल के अन्दर भरने से बनती है। यह पॉलीब्रिक्स ईट की जगह इस्तेमाल की जा

5435 पॉलीब्रिक्स बनाए। इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए, जिला प्रशासन ने अब सभी पंचायतों को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए 'एक दिन पंचायत के नाम' से अभियान शुरू किया है।

जिला प्रशासन के इस स्वच्छता अभियान में महिला मंडल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान दे रही हैं। हाल ही में नाहन के अम्बवाला-सैनवाला कि महिला मण्डल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आस-पास के क्षेत्र के अलावा अपने वार्ड की भी सफाई की और एकत्रित किए गए प्लास्टिक के कचरे से लगभग 70 पॉलीब्रिक्स बनाकर उपायुक्त सिरमौर को सौंपी।



सकती है। पॉलीब्रिक्स का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। इन्हें घेरा बन्दी दीवार, शौचालय निर्माण, फूलदान, सीढ़ियां और फूलों की क्यारी बनाने के लिए ईट की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा अन्तरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेला-2019 में लगाई गई प्रदर्शनी में पॉलीब्रिक्स से बने पॉली टायलेट को प्रस्तुत किया गया था, जो लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा।

इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन ने 'एक दिन स्कूल के नाम अभियान' भी शुरू किया, जिसके तहत विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के अंदर और 500 मीटर बाहर के क्षेत्र में पॉलीथिन कचरे को एकत्र किया और पॉलीब्रिक्स बनाए। यह अभियान मार्च 2020 तक प्रत्येक पहले और चौथे शनिवार को चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत, डिफॉल्टरों की पहचान की जाएगी और पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। दो जागरूकता ड्राइव के बाद, डिफॉल्टरों का चालान किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के 2031 स्कूलों के कुल 80,018 छात्रों ने अब तक 4990 किलोग्राम पॉलीथिन एकत्र किया है, लगभग 916 किलोमीटर क्षेत्र की सफाई की और

इसी प्रकार जिला के दुर्गम क्षेत्र हरिपुरधार कि बड़ेल पंचायत के कांडो गांव की महिलाओं ने अपने गांव व आसपास के क्षेत्र से करीब 10 किलोग्राम प्लास्टिक व पॉलीथिन एकत्रित कर पंचायत को पॉलीब्रिक्स बनाकर सौंपी।

जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा जिला को जून 2020 तक पॉलीथिन मुक्त व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की मुहिम के अंतर्गत अभी तक 15,000 से अधिक पॉलीब्रिक्स तैयार की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर पॉलीब्रिक्स से बैंच, फ्लावर पॉट, पॉलीब्रिक्स निर्मित शौचालय, घेरा बन्दी दीवार आदि बनाकर लोगों को पॉलीथिन मुक्त सिरमौर बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

पॉलीब्रिक्स बनाने का उद्देश्य, पर्यावरण को पॉलीथिन मुक्त कर स्वच्छ व सुन्दर बनाना, घरों में इस्तेमाल होने वाले एकल प्रयोग प्लास्टिक जैसे टॉफी, चॉकलेट, मैगी, नमकीन, कुरकुरे व चिप्स के रैपर, शैम्पू पाउच, दूध की थैली, तेल व रिफाइंड पाउच आदि का घर पर ही निष्पादन करना और पॉलीब्रिक्स के माध्यम से लोगों को बेकार प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने के लिए जागरूक करना है।

100 जानकारी जिसका ज्ञान सबको होना चाहिए

1. योग, भोग और रोग ये तीन अवस्थाएं हैं।

2. लकवा-सोडियम की कमी के कारण होता है।

3. हाई वी पी में- स्नान व सोने से पूर्व एक गिलास जल का सेवन करें तथा स्नान करते समय थोड़ा सा नमक पानी में डालकर स्नान करें।

4. लो बी पी - सेंधा नमक डालकर पानी पीयें।

5. कूबड़ निकलना- फास्फोरस की कमी।

6. कफ - फास्फोरस की कमी से कफ बिगड़ता है, फास्फोरस की पूर्ति हेतु आर्सेनिक की उपस्थिति जरूरी है। गुड व शहद खाएं।

7. दमा, अस्थमा - सल्फर की कमी।

8. सिजेरियन आपरेशन - आयरन, कैल्शियम की कमी।

9. सभी क्षारीय वस्तुएं दिन डूबने के बाद खावें।

10. अम्लीय वस्तुएं व फल दिन डूबने से पहले खावें।

11. जम्भाई - शरीर में आक्सीजन की कमी।

12. जुकाम - जो प्रातः काल जूस पीते हैं वो उस में काला नमक व अदरक डालकर पियें।

13. ताम्बे का पानी - प्रातः खड़े होकर नंगे पाँव पानी ना पियें।

14. किडनी - भूलकर भी खड़े होकर गिलास का पानी ना पिये।

15. गिलास एक रेखीय होता है तथा इसका सर्फेसटेन्स अधिक होता है। गिलास अंग्रेजो (पुर्तगाल) की सभ्यता से आयी है अतः लोटे का पानी पियें, लोटे का कम सर्फेसटेन्स होता है।

16. अस्थमा, मधुमेह, कैंसर से गहरे रंग की वनस्पतियाँ बचाती हैं।

17. 'वास्तु' के अनुसार जिस घर में जितना खुला स्थान होगा उस घर के लोगों का दिमाग व हृदय भी उतना ही खुला होगा।

18. 'परम्परायें' वहीं विकसित होगीं जहाँ जलवायु के अनुसार व्यवस्थायें विकसित होगीं।

19. 'पथरी' - अर्जुन की छाल से पथरी की समस्यायें ना के बराबर हैं।

20. 'RO' का पानी कभी ना पियें यह गुणवत्ता को स्थिर नहीं रखता। कुएँ का पानी पियें। बारिस का पानी सबसे अच्छा, पानी की सफाई के लिए 'सहिजन' की फली सबसे बेहतर है।

21. 'सोकर उठते समय' हमेशा दायीं करवट से उठें या जिधर का 'स्वर' चल रहा हो उधर करवट लेकर उठें।

22. 'पेट के बल सोने से' हर्निया, प्रोस्टेट, एपेंडिक्स की समस्या आती है।

23. भोजन के लिए पूर्व दिशा, 'पढाई' के लिए उत्तर दिशा बेहतर है।

24. 'HDL' बढ़ने से मोटापा कम होगा LDL व VLDL कम होगा।

25. 'गैस की समस्या' होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू करें।

26. 'चीनी' के अन्दर सल्फर होता जो कि पटाखों में प्रयोग होता है, यह शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता है। चीनी खाने से 'पित्त' बढ़ता है।

27. 'शुक्रोज' हजम नहीं होता है 'फेक्टोज' हजम होता है और भगवान् की हर मीठी चीज में फेक्टोज है।

28. 'वात' के असर में नींद कम आती है।

29. 'कफ' के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है।

30. 'कफ' के असर में पढाई कम होती है।

31. 'पित्त' के असर में पढाई अधिक होती है।

32. 'आँखों के रोग' - कैटैक्टस, मोतियाबिन्द, ग्लूकोमा, आँखों का लाल होना आदि ज्यादातर रोग कफ के कारण होता है।

33. 'शाम को वात' - नाशक चीजें खानी चाहिए।

34. 'प्रातः 4 बजे जाग जाना चाहिए'।

35. 'सोते समय' रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से कम होता है।

36. 'व्यायाम' - 'वात रोगियों' के लिए मालिश के बाद व्यायाम, 'पित्त वालों' को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए। 'कफ के लोगों' को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए।

37. 'भारत की जलवायु' वात प्रकृति की है, दौड़ की बजाय सूर्य नमस्कार करना चाहिए।

38. 'जो माताएं' घरेलू कार्य करती हैं उनके लिए व्यायाम जरूरी नहीं।

39. 'निद्रा' से 'पित्त' शांत होता है, मालिश से 'वायु' शांति होती है, उल्टी से 'कफ' शांत होता है तथा 'उपवास' (लंघन) से बुखार शांत होता है।

40. 'भारी वस्तुयें' शरीर का रक्तदाब बढ़ाती हैं, क्योंकि उनका गुरुत्व अधिक होता है।

41. 'दुनियां के महान' वैज्ञानिक का स्कूली शिक्षा का सफर अच्छा नहीं रहा, चाहे वह 8 वीं फेल न्यूटन हों या 9 वीं फेल आइस्टीन हों।

42. 'माँस खाने वालों' के शरीर से अम्ल-स्राव करने वाली ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं।

43. 'तेल हमेशा' गाढ़ा खाना चाहिए सिर्फ लकड़ी वाली घाणी का, दूध हमेशा पतला पीना चाहिए।

44. 'छिलके वाली दाल' - सब्जियों से कोलेस्ट्रॉल हमेशा घटता है।

45. 'कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी' हुई स्थिति में इन्सुलिन खून में नहीं जा

पाता है। ब्लड शुगर का सम्बन्ध ग्लूकोस के साथ नहीं अपितु कोलेस्ट्रॉल के साथ है।

46. 'मिर्गी दौर' में अमोनिया या चूने की गंध सूँघनी चाहिए।

47. 'सिरदर्द' में एक चुटकी नौसादर व अदरक का रस रोगी को सुँघायें।

48. 'भोजन के पहले' मीठा खाने से बाद में खट्टा खाने से शुगर नहीं होता है।

49. 'भोजन' के आधे घंटे पहले सलाद खाएं उसके बाद भोजन करें।

50. 'अवसाद' में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस गुड और अमरुद में अधिक है।

51. 'पीले केले' में आयरन कम और कैल्शियम अधिक होता है। हरे केले में कैल्शियम थोड़ा कम लेकिन फास्फोरस ज्यादा होता है तथा लाल केले में कैल्शियम कम आयरन ज्यादा होता है। हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस होती है, वही हरी चीज पकने के बाद पीली हो जाती है जिसमें कैल्शियम अधिक होता है।

52. 'छोटे केले' में बड़े केले से ज्यादा कैल्शियम होता है।

53. 'रसौली' की गलाने वाली सारी दवाएँ चूने से बनती हैं।

54. हेपेटाइटिस A से E तक के लिए चूना बेहतर है।

55. 'एटी टिटनेस' के लिए हाईपेरियम 200 की दो-दो बूंद 10-10 मिनट पर तीन बार दें।

56. 'ऐसी चोट' जिसमें खून जम गया हो उसके लिए नैट्रमसल्फ दो-दो बूंद 10-10 मिनट पर तीन बार दें। बच्चों को एक बूंद पानी में डालकर दें।

57. 'मोटे लोगों' में कैल्शियम की कमी होती है अतः त्रिफला दें। त्रिकूट (सोँठ, काली मिर्च, मधा पीपली) भी दे सकते हैं।

58. 'अस्थमा में नारियल दें।' नारियल फल होते हुए भी क्षारीय है। दालचीनी, गुड, नारियल दें।

59. 'चूना' बालों को मजबूत करता है तथा आँखों की रोशनी बढ़ाता है।

60. 'दूध' का सर्फेसटेन्स कम होने से त्वचा का कचरा बाहर निकाल देता है।

61. 'गाय की घी' सबसे अधिक पित्तनाशक फिर कफ व वायुनाशक है।

62. 'जिस भोजन' में सूर्य का प्रकाश व हवा का स्पर्श ना हो उसे नहीं खाना चाहिए।

63. 'गौ-मूत्र अर्क' आँखों में ना डालें।

64. 'गाय के दूध' में घी मिलाकर देने से कफ की संभावना कम होती है लेकिन चीनी मिलाकर देने से कफ बढ़ता है।

65. 'मासिक के दौरान' वायु

बढ़ जाता है, 3-4 दिन स्त्रियों को उल्टा सोना चाहिए इससे गर्भाशय फैलने का खतरा नहीं रहता है। दर्द की स्थिति में गर्म पानी में देशी घी दो चम्मच डालकर पियें।

66. 'रात' में आलू खाने से वजन बढ़ता है।

67. 'भोजन के' बाद बज्जासन में बैठने से 'वात' नियंत्रित होता है।

68. 'भोजन' के बाद कंधी करें कंधी करते समय आपके बालों में कंधी के दांत चुभने चाहिए। बाल जल्द सफेद नहीं होंगे।

69. 'अजवाइन' अपान वायु को बढ़ा देता है जिससे पेट की समस्यायें कम होती हैं।

70. 'अगर पेट' में मल बंध गया है तो अदरक का रस या सोँठ का प्रयोग करें।

71. 'कब्ज' होने की अवस्था में सुबह पानी पीकर कुछ देर एडियों के बल चलना चाहिए।

72. 'रास्ता चलने', श्रम कार्य के बाद थकने पर या धातु गर्म होने पर दायीं करवट लेटना चाहिए।

73. 'जो दिन मे दायीं करवट लेता है तथा रात्रि में बायीं करवट लेता है उसे थकान व शारीरिक पीड़ा कम होती है।'

74. 'बिना कैल्शियम' की उपस्थिति के कोई भी विटामिन व पोषक तत्व पूर्ण कार्य नहीं करते हैं।

75. 'स्वस्थ व्यक्ति' सिर्फ 5 मिनट शौच में लगाता है।

76. 'भोजन' करते समय डकार आपके भोजन को पूर्ण और हाजमे को संतुष्टि का संकेत है।

77. 'सुबह के नाश्ते' में फल, 'दोपहर को दही' व 'रात्रि को दूध' का सेवन करना चाहिए।

78. 'रात्रि' को कभी भी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुयें नहीं खानी चाहिए। जैसे - दाल, पनीर, राजमा, लोबिया आदि।

79. 'शौच और भोजन' के समय मुंह बंद रखें, भोजन के समय टी वी ना देखें।

80. 'मासिक चक्र' के दौरान स्त्री को ठंडे पानी से स्नान, व आग से दूर रहना चाहिए।

81. 'जो बीमारी जितनी देर से आती है, वह उतनी देर से जाती भी है।'

82. 'जो बीमारी अंदर से आती है, उसका समाधान भी अंदर से ही होना चाहिए।'

83. 'एलोपैथी' ने एक ही चीज दी है, दर्द से राहत। आज एलोपैथी की दवाओं के कारण ही लोगों की किडनी, लीवर, आतें, हृदय खराब हो रहे हैं। एलोपैथी एक बिमारी स्वतन्त्र करती है तो दस बिमारी देकर भी जाती है।

84. 'खाने' की वस्तु में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ब्लड-प्रेसर बढ़ता है।

85. 'रंगों' द्वारा चिकित्सा करने के लिए इंद्रधनुष को समझ लें, पहले जामुनी, फिर नीला अंत में लाल रंग।

86. 'छोटे' बच्चों को सबसे अधिक सोना चाहिए, क्योंकि उनमें वह कफ प्रवृत्ति होती है, स्त्री को भी पुरुष से अधिक विश्राम करना चाहिए।

87. 'जो सूर्य निकलने' के बाद उठते हैं, उन्हें पेट की भयंकर बीमारियां होती हैं, क्योंकि बड़ी आँत मल को चूसने लगती है।

88. 'बिना शरीर की गंदगी' निकाले स्वास्थ्य शरीर की कल्पना निरर्थक है, मल-मूत्र से 5%, कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ने से 22%, तथा पसीना निकलने लगभग 70% शरीर से विजातीय तत्व निकलते हैं।

89. 'चिंता, क्रोध, ईर्ष्या' करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण होता है जिससे कब्ज, बबासीर, अजीर्ण, अपच, रक्तचाप, थायरायड की समस्या उत्पन्न होती है।

90. 'गर्मियों' में बेल, गुलकंद, तरबूजा, खरबूजा व सर्दियों में सफेद मूसली, सोँठ का प्रयोग करें।

91. 'प्रसव' के बाद माँ का पीला दूध बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है। बच्चों को टीके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।

92. 'रात को सोते समय' सर्दियों में देशी मधु लगाकर सोयें त्वचा में निरवार आएगा

93. 'दुनिया में कोई चीज व्यर्थ नहीं, हमें उपयोग करना आना चाहिए।'

94. 'जो अपने दुखों' को दूर करके दूसरों के भी दुःखों को दूर करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है।

95. 'सोने से' आधे घंटे पूर्व जल का सेवन करने से वायु नियंत्रित होती है, लकवा, हार्ट - अटैक का खतरा कम होता है।

96. 'स्नान से पूर्व और भोजन के बाद पेशाब जाने से रक्तचाप नियंत्रित होता है।'

97. 'तेज धूप' में चलने के बाद, शारीरिक श्रम करने के बाद, शौच से आने के तुरंत बाद जल का सेवन निषिद्ध है

98. 'त्रिफला अमृत है' जिससे 'वात, पित्त, कफ' तीनों शांत होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन के बाद पान व चूना।

99. इस विश्व की सबसे मँहगी 'दवा लार' है, जो प्रकृति ने तुम्हें अनमोल दी है, इसे ना थूके।

- सुशील कुमार सराओगी -

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इनमें आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, व्यापार में सुगमता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, नागरिक सेवाएं, जी.एस.टी. एकत्रीकरण, निर्यात को प्रोत्साहन और श्रम सुधार आदि योजनाएं शामिल थीं।

बैठक में भाग लेते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में आयोजित किए गए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 96,721 करोड़ रुपये निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरा होने पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 14 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाले 240 एम.ओ.यू. को धरातल पर लाया गया। हिम प्रगति पोर्टल के माध्यम से निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं और इसकी निगरानी के लिए एक अंतरविभागीय समिति का गठन भी किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि चम्बा जिला देश के 117 आकांक्षी जिलों में एक है और सरकार इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्य



सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी चम्बा जिला में विकास कार्यों के निष्पादन का अनुभवण कर रही है। नीति आयोग ने अपनी रैंकिंग में चम्बा जिला को स्वास्थ्य क्षेत्र और पोषण में दूसरा स्थान प्रदान किया है और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार ने भी तीन करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम-किसान के अंतर्गत कुल चिन्हित 8,70,286 लाभार्थियों में से पहले चरण में 8.11 लाख किसानों को सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि 500 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों स्वास्थ्य एवं आरोग्य

केन्द्र बनाने की प्रक्रिया जारी है और इसी महीने ये कार्यशील बन जाएंगी। 586 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 525 स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य

केन्द्रों बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे 12 केन्द्रों में टैलीमेडिसन की सुविधा उपलब्ध है जबकि अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में इस सुविधा को प्रदान करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि जन मंच के माध्यम से लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिल रही है। अभी तक इन कार्यक्रमों में 6,73,961 डिजिटल राशन कार्ड बनाए गए हैं और बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 7868 पात्र कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि 2,08,179 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं जबकि 72,397

महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2019 तक जन समस्याओं से जुड़ी 1,77,231 कॉलें प्राप्त हुईं जिनमें से 83 प्रतिशत का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सुशासन के सूचकांक में भारत सरकार ने पहला पुरस्कार प्रदान किया है।

जय राम ठाकुर ने का कि वित्त वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रहण 24 प्रतिशत बढ़ा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने दिसंबर, 2019 तक 17.3 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 3653.68 करोड़ रुपये का कर एकत्रित किया जबकि 31 दिसंबर, 2018 तक यह 3115 करोड़ रुपये था। हालांकि वैट के कारण राजस्व कम है क्योंकि अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक पेट्रोल और डीजल पर कर की दरें घटाई गईं। उन्होंने कहा कि पहली नवम्बर, 2019 से पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया गया जिसके

परिणामस्वरूप राज्य सरकार को काफी राजस्व अर्जित करने में सफलता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहन देने और रज्जू मार्ग निर्मित करने के उद्देश्य 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ महत्वाकांक्षी नई राहें, नई मजिलें योजना आरम्भ की गई है। प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा निर्मित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अभी तक 28 लाख लाभार्थियों का डाटा डिजिटल कर दिया गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री का आश्वासन दिया कि राज्य में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मजबूती से कार्यान्वित किया जाएगा ताकि इस पहाड़ी राज्य के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण निश्चित हो सके।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केन्द्रीय मंत्री बैठक में उपस्थित थे।

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में हिमाचल 'थीम स्टेट' के रूप में लेगा भाग

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर, व्यंजन एवं हिमाचली उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, उद्योग विभाग, भाषा, कला और संस्कृति विभाग व पर्यटन विकास निगम के माध्यम से प्रदेश 'थीम स्टेट' के रूप में 34 वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला-2020 में भाग ले रहा है। प्रतिष्ठित सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 1 से 16 फरवरी, 2020 तक सूरजकुंड, फरीदाबाद (हरियाणा) में आयोजित किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन और नागरिक उड्डयन आरडी धीमान ने बताया कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य में पर्यटन क्षमता, सांस्कृतिक विरासत, हथकरघा-हस्तशिल्प और राज्य के अन्य उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला है।

आर.डी. धीमान ने कहा कि 'थीम स्टेट' के रूप में इस बार विभाग ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कला और संस्कृति को एक स्थान पर दिखाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि 16 दिनों के शिल्प मेले के दौरान, मेला मैदान में प्रतिदिन हिमाचली सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 4 फरवरी, 2020 को हिमाचली सांस्कृतिक संध्या तथा 9 फरवरी, 2020 को एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रितु बेरी द्वारा एक फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा। हिमाचल के उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए 70 कारीगरों के स्टॉल भी लगाए

जाएंगे। मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के हिमाचली व्यंजन परोसने के लिए हिमाचली व्यंजन स्टॉल भी लगाया जाएगा।

पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक यूनुस ने बताया कि पर्यटन विभाग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राज्य को पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रचारित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 फरवरी को सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर तथा 16 फरवरी, 2020 को समापन अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने सूरजकुंड शिल्प मेला प्राधिकरण की परंपराओं के अनुसार 'थीम स्टेट' के रूप में मेला मैदान में पहाड़ी वास्तुकला के एक स्थाई द्वार तथा भीमाकाली मंदिर, सराहन के स्थाई स्मारक का निर्माण किया है। इसके अलावा, साक्य टंगयुद मठ स्पीति, चंबा मिलेनियम गेट, छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ चिंतपूर्णी, चिंडी माता गेट करसोग और ज्वालामुखी मंदिर गेट की शैली में शिल्प मेला मैदान के प्रत्येक प्रवेश स्थल पर पांच द्वार और पारंपरिक शैली में एक 'अपना घर' भी स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को जानकारी प्रदान करने और प्रदेश के अछूते पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए एक सूचना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने इससे पहले वर्ष 1996 में 'थीम स्टेट' के रूप में भाग लिया था।

कर्मचारी संघों ने किया 5 प्रतिशत डीए की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद

शिमला। हिमाचल प्रदेश पीए/पीएस संघ ने कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2019 से 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है।

शिमला में संघ के अध्यक्ष दीवान नेगी और महासचिव तुलसी राम शर्मा ने कहा कि इससे कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा

(राजपत्रित अधिकारी) संघ (एचपीएसएसए) के अध्यक्ष कुलतार सिंह राणा और महासचिव डॉ. विवेक ज्योति ने भी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1 जुलाई, 2019 से पांच प्रतिशत डीए की घोषणा करने के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा राज्य के कर्मचारियों के कल्याण के लिए बहुत सकारात्मक रही है।

अनुराग सिंह ठाकुर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैंपियनस फॉर चेंज-2019 के अवॉर्ड से सम्मानित

शिमला/शैल। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के दिल्ली स्थित आवास 10 राजाजी मार्ग व विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए चैंपियनस फॉर चेंज-2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

अनुराग सिंह ठाकुर को सामाजिक कल्याण, विशेष रूप से हेल्थकेयर, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार के एकमात्र केन्द्रीय मंत्री हैं।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व पूर्व एनएचआरसी चेयरमैन जस्टिस के.जी. बालकृष्णन व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने इस अवॉर्ड के नॉमिनेशन और चयन की प्रक्रिया के ज्यूरी की अध्यक्षता की। पूरे भारत में इस सम्मान के लिए चुने गए पुरस्कार विजेताओं में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, आचार्य बालकृष्ण, अध्यक्ष पतंजलि आयुर्वेद, अभिनेत्री शिल्पा शेड्डी और कई प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र केन्द्रीय मंत्री हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान की मोदी सरकार में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वह अपने संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर की इन पहल को देश के कई क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है।

इस अवॉर्ड को पूरे हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के लिए खुशी का पल

बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा 'ये अवॉर्ड ना सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश



का है क्योंकि किसी भी जनसेवा पहल की सफलता में जनभागीदारी, सबके सम्यक् प्रयासों व सर्वजन की भागीदारी सम्मिलित होती है इसलिए मेरा ये अवॉर्ड हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को समर्पित है।

'मेरे संसदीय क्षेत्र में किए गए सभी सामाजिक प्रयासों को अंत्योदय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। प्रत्येक पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करना है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अच्छी शिक्षा और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पर सभी का एक समान अधिकार है। इसी तरह खेल सामाजिक सहभागिता, अनुशासन व व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यक्रम अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुए हैं और ये आगे भी बिना किसी रुकावट के जनकल्याण में क्रियान्वित रहेगी'।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चलने वाली सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा 'अस्पताल' के म डल को आज देश के

विभिन्न राज्यों में अपनाया जा रहा है। लोगों को उनके घर द्वार पर निःशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की इस मुहिम ने अपनी सेवा के 18 महीनों में अब तक 1,89,554 लोगों को लाभान्वित कर चुकी है। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की कार्यप्रणाली को पूरे देश में सराहा जा रहा है और कई सांसद, विधायक, विधानपरिषद सदस्य अपने क्षेत्रों में इस म डल को लागू कर रहे हैं।

ठीक इसी तरह सांसद स्टार खेल महाकुम्भ की 5 खेल प्रतियोगिताओं में 42,700 से ज्यादा युवा जुड़कर हिमाचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हुए नशे के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम ने अपने अन्ठे कॉन्सेप्ट के माध्यम से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सांसद भारत दर्शन मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों और विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में ले जाकर उनके बौद्धिक विकास को एक नया आयाम देने का कार्यक्रम था जिसे शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित जनों व बुद्धिजीवियों ने सराहा है।

'चैंपियंस ऑफ चेंज' अवार्ड्स का आयोजन इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी (IFIE) द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा गैर-लाभकारी कंपनी है।

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रदेश में 71वां गणतंत्र दिवस

शिमला/शैल। 71वां गणतंत्र दिवस पूरे प्रदेश में हर्षो-उल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

परेड का नेतृत्व 2-नागा रेजिमेंट के कैप्टन निखिल कुमार ने किया। इस अवसर पर नागा रेजिमेंट, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, सेना पाईप बैंड, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, शिमला जिला पुलिस, शिमला यातायात पुलिस, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा दल, पूर्व सैनिक, एन.सी.सी, एन. एस.एस. हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड, भारत स्काउट एण्ड गाइड, हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश डाक सेवा, श्वान दस्ता सी.आई.डी. शिमला और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकासवात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती झाकियां भी प्रस्तुत की गईं।

इस अवसर पर मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा, विधायक बलवीर वर्मा, विनोद कुमार और विक्रमादित्य सिंह, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी, सेना, पुलिस व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जिला और उपमंडल स्तर पर भी समारोह आयोजित किए। इस अवसर पर ध्वजारोहण, मार्च पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

बिलासपुर जिला – सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर (छात्र) के प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने ध्वजारोहण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह दिन उन वीर शहीदों को याद करने का विशेष दिन है, जिन्होंने देश की आजादी और रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर की वीर धरती के 64 भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों तथा अधिकारियों को वीरता पुरस्कार मिले हैं, जो गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों में 1,172 बस्तियों को पेयजल सुविधा तथा 5130 घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 333.18 करोड़ रुपये की 111 लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

राज्य में बागवानी के चहुंमुखी विकास के लिए पुष्प क्रांति योजना,

मुख्यमंत्री हरित गृह नवीनीकरण योजना, ओला अवरोधक नेट की स्थापना, खुम्ब विकास तथा मुख्यमंत्री मधु विकास जैसी नई योजनाएं आरंभ की गई हैं।

चम्बा जिला – शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने जिला चम्बा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने ध्वजारोहण किया और परेड



की सलामी ली।

इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत दो वर्ष के दौरान विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश ने देश के पहाड़ी राज्यों को विकास की नई दिशा दिखाई है। सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा युद्ध विधवाओं की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है। भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं की वृद्धावस्था आर्थिक सहायता 500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की गई है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2898 आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा 1050 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

कुल्लू जिला – कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आयोजित गणतन्त्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को विशेषतौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 1650 हैक्टेयर भूमि पर 40 हजार से अधिक किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8,74,304 लाभार्थियों को 430.80 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माईजीओवी नाम से एक पोर्टल आरंभ किया गया है।

डॉ. रामलाल मारकण्डा ने कहा कि कुल्लू-मनाली और बंजार में इस वित्त वर्ष में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 37.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 26

सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 108 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी।

ऊना जिला – ऊना जिला में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) ऊना के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली।

इन्हें भी शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में भी बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे।

हमीरपुर जिला – उद्योग, श्रम एवं रोजगार व तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण किया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देश बल्कि विश्व में निवेशक प्रिय गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में पहली बार 7-8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई। इस मीट में 96 हजार 720 करोड़ रुपये से भी अधिक के निवेश प्रस्तावों के 703 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इस वर्ष छह करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिला में 201 मामले विभिन्न बैंकों को ऋण स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।

मण्डी जिला – जिला मंडी में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह सेरी मंच पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान वन मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होम गाई, एनसीसी, एनएसएस व स्काउट्स एवं गाईड्स की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

प्रदेश में बहुमूल्य वन संपदा के संरक्षण व संवर्धन के लिए व्यापक पौधा रोपण अभियान चलाए गए हैं। बीते दो वर्षों में 17285 हैक्टेयर वन भूमि में 1.54 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक प्रदेश का वन क्षेत्र 30 प्रतिशत तक पहुंचे। इसे लेकर समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं।

गोविन्द ठाकुर ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को निखारने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस कड़ी में मंडी जिला में भी पर्यटन गतिविधियों को और रफ्तार दी जा रही है।

कांगड़ा जिला – गणतन्त्र दिवस के अवसर पर कांगड़ा जिला के धर्मशाला में जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर डॉ. राजीव सैजल ने अपने संबोधन में कहा कि

वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया, जिसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। इस निर्णय से वरिष्ठजनों को विशेष लाभ पहुंचा है। प्रदेश में लगभग तीन लाख 57 हजार वरिष्ठजनों को पेंशन मिल रही है।

सिरमौर जिला – विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में आयोजित जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने के लिए 3740 राजकीय पाठशालाओं में प्री प्राइमरी कक्षाएं आरम्भ की गई हैं तथा इनमें 47 हजार बच्चों का नामांकन किया गया है।

मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत गरीब उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गत एक वर्ष में दो लाख 76 हजार से भी अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

किन्नौर जिला – किन्नौर जिला में रिकांग पिओ के रामलीला मैदान में आयोजित जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह में उपायुक्त किन्नौर गोपाल चन्द ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किन्नौर जिला में विकास कार्यों पर 85 करोड़ 77 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं। जिला में लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरद्वार के निकट करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान आठ जनमंच आयोजित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में 12552.37 हैक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के अंतर्गत लाया गया है और वर्ष 2019-20 में 28 लाख 28 हजार 182 सेब की पेटियां देश की विभिन्न मंडियों में भेजी गईं।

लाहौल – स्पिति – जिला उपायुक्त लाहौल-स्पिति के के सरोच ने पुलिस मैदान केलंग में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश का संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पिति जिला में प्रदेश सरकार की सभी विकासवात्मक योजनाओं का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय उप योजना के तहत इस वर्ष 51 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा रही है।

उन्होंने कहा कि लाहौल की सभी 28 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए 85 लाख रुपये की लागत से वी-सेट लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमन्त्री को इलैक्ट्रिक कार का तोहफा और कर्मचारियों को अदालत का दरवाजा

शिमला/शैल। हिमाचल पथ परिवहन निगम घाटे और कर्जों के सहारे चल रही है यह एक सार्वजनिक सच है। लेकिन इस सच के बाद भी परिवहन निगम ने जब पिछले दिनों मुख्यमन्त्री को इलैक्ट्रिक कार भेंट करने का दम दिखाया तब लगा था कि निगम अपने कर्मचारियों और विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनके सेवानिवृत्ति लाभ देने में भी उतनी ही तत्परता और संजीदगी दिखायेगी। क्योंकि उसी दौरान इन कर्मचारियों ने प्रैस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके अपनी परेशानी प्रबन्धन और सरकार के सामने रखी थी। लेकिन कर्मचारियों के इस प्रयास का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और अन्ततः एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रणजीत सिंह का CWP/423 के माध्यम से प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। इस याचिका का कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा पर आधारित एकल पीठ ने पथ परिवहन निगम को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ तीन माह के भीतर अदा करने के निर्देश दिये हैं। यही नहीं ऐसा न करने पर चौथे माह से 6% की दर पर उन्हें अदायगी तक ब्याज देने और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिये हैं। अदालत के इन निर्देशों का आने वाले समय में प्रदेश सरकार और उसके विभिन्न अदरों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने लाभों के लिये लम्बे समय तक इन्तजार करते देखे गये हैं।

हिमाचल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम से है। इस समय निगम के पास 11 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, 29 परिवहन डिपो और 9 सब डिपो हैं। इनमें 3161 बसों का फ्लीट है। जोगिन्द्र नगर, नेरवा और धर्मपुर डिपों के पास अपना कोई कार्यालय और कार्यशाला न होने के कारण इन्हे कोई बस उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 निजी और 8 हिमाचल पर्यटन विकास निगम की वाल्वो बसें भी आप्रेंट कर रही हैं। परिवहन निगम की वाल्वो बसों से 5000 रुपये प्रति बस प्रतिदिन का टैक्स लिया जाता है। निजिक्षेत्र में चल रही वाल्वो बसों का मालिक कौन है और कहां से है इसका कोई विवरण निगम के पास नहीं है क्योंकि इनका टैक्स इनके बस नम्बर के आधार पर उगाहया जाता है। जिन वाल्वो बसों का पंजीकरण प्रदेश से बाहर का है उन्हें पांच वर्ष का परमिट दिया जाता है। जयराम सरकार आने के बाद 342 नये बस रूट घोषित किये गये थे जिनके लिये 919 लोगों ने आवेदन किये थे। इनमें से केवल 23 रूट ही आवंटित हो पाये हैं। सरकार द्वारा घोषित 166 रूट ऐसे रहे हैं जिनके लिये एक भी आवेदन नहीं आया है। जो रूट आवंटित नहीं हो पाये हैं उनके लिये धर्मशाला, चम्बा, बिलासपुर, मण्डी और ऊना के कार्यालयों में बैठकर आयोजित की जा रही हैं। जयराम सरकार आने के बाद बसों की नियमित चैकिंग

के 3325 चालान काटे गये और इनसे 1,34,01,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

पथ परिवहन निगम की घाटे की स्थिति का आलम यह है कि इसके चलते कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जा रहे हैं। 2014 में भी एक कर्मचारी को एजी ऑफिस द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद घाटे का कवर लेकर यह लाभ नहीं दिये गये थे और उसे उच्च न्यायालय जाना पड़ा था। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब निगम मुख्यमन्त्री को इलैक्ट्रिक कार गिफ्ट करने की बात कर सकता है तो अपने कर्मचारियों को यह लाभ क्यों नहीं दे सकता। निगम की कार्य प्रणाली पर इसलिये भी सवाल उठने स्वभाविक हैं कि 1989-90 में निगम का प्रति किलो मीटर खर्च 6.30 रुपये था और 2000-01 में यह बढ़कर 17.22 रुपये हो गया जबकि इस दौरान सड़कों की हालत में सुधार हुआ है और टैक्नोलोजी में भी। दूसरी ओर 1989-90 में किराया 19.37 पैसे प्रति किलोमीटर

था जो कि 2000-01 में बढ़कर 59.07 पैसे हो गया है। सामान्यतः किसी भी परिवहन निगम के आकलन के आधारभूत मानक यही होते हैं। इन मानकों के अतिरिक्त अन्य सारे कारक जो बैलैन्सशीट में उठाने गये हैं वह सब प्रबन्धन की अपनी कुशलता पर निर्भर करते हैं।

The Himachal Pradesh High Court, while disposing of an execution petition and a petition filed by Sh. Ranjit Singh, a retired employee of HRTC, has reprimanded HRTC for not giving the retirement benefits to the retired employees well in time. Disposing of the petition, Vacation Judge Mr. Anoop Chitkara said that the attitude of HRTC towards low-level retired employees is pathetic, insulting and insensitive as despite

being working sincerely throughout their working life, the retired employees have to approach Courts for release of their post retirement benefits. The Court said that litigation is neither a free lunch for the employer nor for the employee. The Court expressed surprise that instead of expressing gratitude to its employees by making timely payments, HRTC is willing to spend money on litigation.

The court directed HRTC to expeditiously settle all such pending cases of retired employees and pay the dues to all within three months of retirement. However, the Court clarified that HRTC,

while disbursing the retiral benefits, should ensure that no disciplinary inquiry or other issue is pending against the retired employee.

The Court also directed that in case of default, the officer/ employee sitting on the files and found responsible for the delay without any proper explanation, will have to pay compensation at the rate of Rs 100 per day. The Court further directed that apart from this compensation, HRTC will have to pay interest at the rate of 6% per annum, compoundable monthly, from the first day of the fourth month of retirement until the entire amount is credited to the retired employee's account.

जब 118 के तहत खरीद के मामले दर्ज हैं

रिकार्ड सामने आया है उसमें जिलाधीश मण्डी के पास 24 मामले दर्ज हैं। यह सभी मामले 2018 और 2019 में आये हैं। सभी स्टेट बनाम अमुक-अमुक हैं अर्थात जिलाधीश द्वारा ही दायर किये गये हैं। इसमें यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब 118 में अनुमति लेकर दो वर्ष के भीतर उसको उपयोग में लाना है तो क्या मण्डी में 118 के प्रावधानों के अनुसार खरीद की अनुमतियां नहीं दी जा रही हैं। क्योंकि जो मामले 2019 में अदालत में

Status of court cases of violation of section 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 pending adjudication with District Collectors.

Sr. No.	District	Case No.	Title	Status
HAMIRPUR				
1	1	1/18	State of H.P. Vs Narendar Singh	For-evidence
Una				
2	1	10/14	State of H.P. Vs Raghav Puri	Fixed on 07-01-2020 (for Proclamation)
3	2	1/16	State of H.P. Vs Kamaldeep Carbon Pvt. Ltd.	Fixed for arguments on 07-01-2020
4	3	9/18	State of H.P. Vs Paras Spices	Fixed on 07-01-2020 for orders
KANGRA				
5	1	03/2004	State of H.P. Vs Jogindro Devi & others	Respondent evidence
6	2	04/2006	State of H.P. Vs Pawan Kumar	Arguments
7	3	03/2007	State of H.P. Vs Ram Swarup	Respondent evidence
8	4	04/2008	State of H.P. Vs Subhash Puri & others	Arguments
9	5	04/2011	State of H.P. Vs Asha Pathania & others	Reply
10	6	06/2011	State of H.P. Vs Sudesh Kumar & others	Respondent evidence
11	7	13/2011	State of H.P. Vs Jamyang Chhooling	Arguments
12	8	03/2012	State of H.P. Vs TCV	Report of Tehsildar
13	9	04/2012	State of H.P. Vs TCV	Report of Tehsildar
14	10	05/2012	State of H.P. Vs TCV	Report of Tehsildar
15	11	06/2012	State of H.P. Vs TCV	Report of Tehsildar
16	12	07/2012	State of H.P. Vs TCV	Report of Tehsildar
17	13	01/2012	State of H.P. Vs Devinder Krishan	Respondent evidence
18	14	05/2012	State of H.P. Vs Prem Sagar Behl & others	For orders
19	15	07/2014	State of H.P. Vs Dharam Pal	Consideration
20	16	01/2015	State of H.P. Vs Rattani Devi & others	Rejoinder
21	17	02/2015	State of H.P. Vs Vikram Bhatia & others	Arguments
22	18	03/2015	State of H.P. Vs Bhuri Singh	For orders
23	19	02/2016	State of H.P. Vs Vijay Kumar & others	Arguments
24	20	04/2016	State of H.P. Vs Gagan Kumar & others	State evidence
25	21	05/2016	State of H.P. Vs Sandeep Sahni & others	For orders
26	22	07/2016	State of H.P. Vs Surjeet Singh	Arguments
27	23	01/2017	State of H.P. Vs Ashok Kumar	Evidence
28	24	02/2017	State of H.P. Vs Harpreet Singh	Report of Tehsildar
29	25	01/2018	State of H.P. Vs Surinder Kumar	Consideration
30	26	03/2018	State of H.P. Vs Manoj Kumar	Rejoinder
31	27	04/2018	State of H.P. Vs Asha Devi & others	Arguments
32	28	05/2018	State of H.P. Vs Aniruk Singh & others	Reply
33	29	01/2019	State of H.P. Vs Uma Shankar	Rejoinder
34	30	02/2019	State of H.P. Vs Sohan Lal	Presence

आ रहा है वह खरीद भी अभी ही हुई होगी। इससे यह भी सवाल उठता है

SIRMOUR				
35	1	12/2013	State of H.P. Vs M/S Comptel Resort.	Fixed for Order
36	2	04/2014	State of H.P. Vs Golden Tent Ind.	The matter was referred to the General Manager DIO Nahar for taking up this matter with the Govt. The G.M. DIO has informed that matter has been taken up with the Director (Industries).
37	3	05/2014	State of H.P. Vs Golden Harhar Pvt. Ltd.	The matter was referred to the General Manager DIO Nahar for taking up this matter with the Govt. The G.M. DIO has informed that matter has been taken up with the Director (Industries).
38	4	23/2014	State of H.P. Vs Manan Bhatti Cheritable Trust	Service of LRs of Respondent.
39	5	11/2016	State of H.P. Vs Sachin & others	Cross examination of RWs.
40	6	12/2016	State of H.P. Vs Ritu Bhatia	Service of LRs of Respondent.
41	7	01/2016	State of H.P. Vs Suresh Parkash Tikka	Cross examination of RWs.
42	8	06/2018	State of H.P. Vs Sukhwinder Singh	Arguments
43	9	08/2018	State of H.P. Vs M/S Community Farms	RWs.
44	10	07/2018	State of H.P. Vs M/S K-Land Jubbil	Slay by Honble High Court of H.P.
45	11	02/2018	State of H.P. Vs Minakshi	Fixed for orders
46	12	03/2018	State of H.P. Vs Om Parkash & Rakesh Kumar	Fixed for PWs.
47	13	01/2018	State of H.P. Vs Rajeev Kumar	Cross examination of RWs.
48	14	01/2019	State of H.P. Vs Sanjeev Stani & ors.	Service of Show Cause Notice
CHAMBA				
49	1	13/3-XIII-A/2016	State of H.P. Vs Arvir Singh	Case has been fixed for service of respondent i.e. Smt. Sunaina Mahajan on 26-12-2019
50	2	2/3-XIII-A/2016	State of H.P. Vs Ranjeet Singh	Case has been fixed on 26-12-2019 for want of clarification/report from the Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie.
KULLU				
51	1	22/0C/11	State of H.P. Vs List of PWs	Report of PWs
52	2	13/0C/11	State of H.P. Vs Kamal Khosro	RWs
53	3	21/0C/11	State of H.P. Vs Dhyanu	RWs
54	4	28/0C/11	State of H.P. Vs Sanjay Mukherjee	RWs
MANDI				
55	1	01/2017	State of H.P. Vs K.L. Malhotra & ors.	Report
56	2	01/2018	State of H.P. Vs Roop Chand	Consideration
57	3	02/2018	Nanak Chand Vs Doli	Orders
58	4	20/2018	State of H.P. Vs Dharam Chand & others	Orders
59	5	22/2018	State of H.P. Vs Surjeet Singh & others	Objections
60	6	16/2018	State of H.P. Vs Sukh Shek & others	Objections
61	7	05/2018	State of H.P. Vs Gurnaran Singh & others	Reply
62	8	15/2018	State of H.P. Vs Lal Singh through LRs & others	Reply
63	9	26/2018	State of H.P. Vs Vidya Singh & others	Reports
64	10	25/2018	State of H.P. Vs Baram Singh & others	Arguments
65	11	04/2018	State of H.P. Vs Trilok Singh & others	Arguments
66	12	03/2018	State of H.P. Vs Trilok Singh & others	Arguments
67	13	11/2018	State of H.P. Vs Trilok Singh & others	Arguments
68	14	12/2018	State of H.P. Vs Jaspreet Singh & others	Arguments
69	15	01/2019	State of H.P. Vs Rajesh Kumar & others	Reply
70	16	07/2019	State of H.P. Vs Jagtar Singh & others	Reply
71	17	03/2019	State of H.P. Vs Swarn Singh & others	Reply
72	18	12/2019	State of H.P. Vs Chandar Bhushan & others	Consideration
73	19	10/2019	State of H.P. Vs Paranjit Singh & others	Report

कि क्या संवद्ध प्रशासन को 118 के प्रावधानों के प्रति अपडेट करने की

74	20	14/2019	State of H.P. Vs Promila Tandon & others	Consideration
75	21	11/2019	State of H.P. Vs Narendar Kumar & others	Orders
76	22	08/2019	State of H.P. Vs Pushpa Devi & others	Report
77	23	09/2019	State of H.P. Vs Prem Sagar & others	Report
78	24	04/2019	State of H.P. Vs Gaurpreet Singh & others	Arguments
BILASPUR				
79	1	1/19	State of H.P. Vs Sunka Ram	Stage Hearing fixed on 05-12-2019
SOLAN				
80	1	07/13	State of H.P. Vs M/S Mahendru Agencies	Orders
81	2	40/13	State of H.P. Vs Shekhar Chand & others, r/o Bhadwar Tehsil, Kangra	PWs
82	3	55/13	State of H.P. Vs Neena w/o Sh. Sawinder, r/o Sector-1, Panwaroo	Respondent Witnesses
83	4	56/13	State of H.P. Vs Sanjeev Chahana, r/o B-57, Panchsheel Enclave, New Delhi, and others	LRs on record
84	5	06/13of 2011	State of H.P. Vs Sathinder Singh, r/o Place Road Solan and others	Matter pending before the Honble High Court of HP
85	6	01/13 of 2012	State of H.P. Vs Subhash Bhatia, r/o Khali P.O. Kumharati Tehsil & District Solan	Matter pending before Honble High Court of HP
86	7	05/13 of 2012	State of H.P. Vs Garipati Properties, r/o Soti Johari Dharmapur Tehsil Kasauli, District Solan HP	Arguments
87	8	10/13 of 2013	State of H.P. Vs Amit Sood and Respu Dawan r/o Old Kanak Mandi Tehsil & District Moga Punjab and others	Matter pending before the Honble High Court of HP
88	9	15/13 of 2013	State of H.P. Vs Bahra University Wakanaghat, Village Wakanaghat Tehsil Kandaghat District Solan HP	For Orders
89	10	17/13 of 2013	State of H.P. Vs M/S Vashnavi Industries Pvt. Ltd.	Respondent witnesses
90	11	19/13 of 2013	State of H.P. Vs Anjeet Singh r/o Ranvik Khurd Tehsil chakmohar District Ropar Punjab and others	Arguments
91	12	05/13 of 2014	State of H.P. Vs. Mukesh Mittal, r/o House No. 18-D, Chandigarh UT and others	Respondent Witnesses
92	13	19/13 of 2014	State of HP Vrs. Leela Resort Pvt. Ltd. r/o mausla Lahngi Kumharati District Solan HP & others	Respondent Witnesses
93	14	14/15 of 2015	State of HP Vrs. Anuradha Parashad, r/o 616 Asiad Village, New Delhi 110049	Respondent Witnesses
94	15	15/13 of 2015	State of HP Vrs. Smt. Sunila Puri, r/o H. No. 634, Sector-7 Panchkula	Respondent Witnesses
95	16	17/13 of 2015	State of HP Vrs. Sh. Krishan Kumar, r/o VPO Wakanaghat Tehsil Kandaghat District Solan HP	Arguments
96	17	18/13 of 2015	State of H Vrs. Hardev Sharma, Shadyal P.O. Kamthigha Tehsil Kandaghat District Solan.	Arguments
97	18	03/13 of 2016	State of HP Vrs. Rajesh Kumar, r/o Village Badu Tehsil Chumarni District Bhatnagar	Respondent Witnesses
98	19	05/13 of 2016	State of HP Vrs. M/S Jasson Impex Pvt. r/o Sundernagar New Delhi	Respondent Witnesses

आवश्यकता है क्योंकि इसका असर अन्ततः निवेश के अनुमानों पर पड़ेगा।

99	20	14/13 of 2016	State of HP Vrs. M/S Epar Appliances, r/o H. No. A-226, Meera Bagh Paschim Vihar M. Delhi	Respondent Witnesses
100	21	16/13 of 2016	State of HP Vrs. World Renewal Spiritual Trust, r/o Ward No. 6 Solan District Solan HP	Arguments
101	22	19/13 of 2016	State of HP Vrs. Nish Ram and other r/o VPO Barog Tehsil & District Solan	Arguments
102	23	21/13 of 2016	State of HP Vrs. Smt. Satish Kumar, r/o House No. 9, Khudbura mohalla Dehradun Uttarakhand and others	Arguments
103	24	22/13 of 2016	State of HP Vrs. Duni Chand, r/o Village Srinagar Kandaghat District Solan HP & others	Arguments
104	25	02/13 of 2017	State of HP Vrs. M/S Break Construction Pvt. r/o C-8/8787 Basant Kirti New Delhi	Arguments
105	26	6/13 of 2017	State of HP versus Shivalik Co-Operative Housing Building Society Ltd.	Respondent Witnesses
106	27	8/13 of 2017	State of HP versus M/S Sain Developers Promoters Pvt.	For orders
107	28	10/13 of 2017	State of HP versus Sh. Ashay Gupta and Nandinder Kumar	Reply
108	29	11/13 of 2017	State of HP versus Sukhdev Singh	consideration
109	30	14/13 of 2017	State of HP versus Nandinder Singh and others	Reply
110	31	15/13 of 2017	State of HP versus Paras Ram and others	LRs on record
111	32	16/13 of 2017	State of HP versus Uday Ram	LRs on record
112	33	17/13of 2017	State of HP versus Prem Singh and others	Consideration
113	34	18/13 of 2017	State of HP versus M/S Luxury Hotel and Motel and others	Orders
114	35	19/13of 2017	State of HP versus M/S India Realty Pvt. Ltd.	RWs
115	36	01/13 of 2018	State of HP versus Sh. Vinod Kumar and others	Considerations
116	37	02/13 of 2018	State of HP versus Brighsh Sahani and others	PWs
117	38	06/13 of 2018	State of HP versus Bhutoli Khurak Kishi Society Ghazi Solan	Considerations
118	39	07/13 of 2018	State of HP versus Darkani Kishi Sahani Sabha	Considerations
119	40	08/13 of 2018	State of HP versus Caring Agriculture Co-Operative Society Ltd.	Considerations
120	41	09/13 of 2018	State of HP versus Kallash Co-Operative Housing Building Society Katia	PWs
121	42	12/13 of 2018	State of HP versus Rapura Co-Op. Society	Reply
122	43	13/13 of 2018	State of HP versus Brahmin Kumar Suthania	Rejoinder
123	44	1/13 of 2019	State of HP versus M/S AV Auto Industries	Rejoinder
124	45	2/13 of 2019	State of HP versus Shalender Singh	PWs.
125	46	3/13 of 2019	State of HP versus Harjeet Singh	Consideration
126	47	4/13 of 2019	State of HP versus Shwinder Singh	Reply
127	48	5/13 of 2019	State of HP versus Sh. Ajit Singh	Rejoinder
128	49	6/13 of 2019	State of HP versus Smt. Kamal Verma	Reply
129	50	8/13 of 2019	State of HP versus Dewender Kumar	Service
130	51	9/13 of 2019	State of HP versus Jugal Khosra	Service
131	52	10/13 of 2019	State of HP versus M/S Second Option Properties Pvt.	Rejoinder
132	53	11/13 of 2019	State of HP versus Smt. Chand & others	Service
Shimla				
133	1	01/2019	State of HP versus Jeet Singh	Reserved for final orders on 10-12-2019
134	2	02/2019	State of HP versus Deepjit	Reserved for final orders on 10-12-2019
135	3	03/2019	State of HP versus Ravi Mehta	Reserved for final orders on 10-12-2019
136	4	04/2019	State of HP versus Jeet Singh Rana	Reserved for final orders on 10-12-2019
137	5	05/2019	State of HP versus Rajesh Kumar	Fixed for consideration on 09-12-2019
138	6	06/2019	State of HP versus Ram Kumar	Fixed for arguments on 09-12-2019
139	7	07/2019	State of HP versus M/S Rockfield Buildtech Pvt. Ltd.	Fixed for final orders on 09-12-2019